निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 133 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग** के माह 05/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25/02/2019 से 07/03/2019 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, श्री सलीम खान एवं जयंत प्रकाश, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री सुधीर श्रीवास्तव, व. लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29/05/2017 से 08/06/2017 तक सम्पादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 04/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

1. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

2. बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2059, 2216, 2245, 3054, 5054,		2003.49	2003.49	1724.57	278.92
2016-17			2238.96	2238.96	2230.29	8.67
2017-18			1695.25	1695.25	1486.44	208.81
2018-19 (01/2019 तक)			1003.89	1003.89	619.41	384.48

3. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

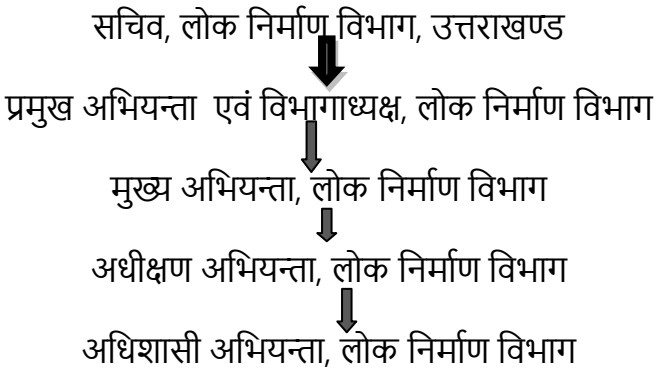

4. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह 08/2017 और 03/2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य 1. बांस वाड़ा बस्ती बासु केदार मोटर मार्ग, (रु11.36 करोड़) एवं बाँस वाड़ा-कनसिल-चंद्रनगर-मोहन खाल (`15.08 करोड़) निर्माण कार्य को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

6. अधीक्षणअभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 22/02/2018 से 24/02/2018 को निरीक्षण किया गया।

7. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2016 तक की गई।

8. फार्म 51: माह 01/02019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹2407552.00
भाग द्वितीय - ₹110126.00

9. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	₹3145405.83
(ख)	सामग्री क्रय	₹ 33,300.00
(ग)	नगद परिशोधन	₹ 71727.62
(घ)	निक्षेप	₹ 45929889.55
(ङ)	भण्डार	(-)₹ 4407693.26

भाग- दो 'अ'

<u>प्रस्तर-1:</u>अपूर्ण छोड़े गए एक सड़क निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार पर `20.36 लाख अर्थदण्ड न किया जाना और `11.66 लाख के अधोमानक बिटुमिन कार्यों को स्वीकार कर भुगतान किया जाना।

सड़क व राजमार्ग परिवहन मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के दौरान किए जाने वाले बिटुमिन कार्यों के लिए निर्गत आवश्यक तकनीकी विशिष्टि संख्या-511.1 के प्रावधान अनुसार मोटर मार्ग निर्माण/सुधारीकरण हेतु 'खुली ग्रेड पी.सी. (Open Graded Premix Surfacing)'बिछाये जाने के बाद इसे तत्काल 'सील कोट (SealCoat)' द्वारा सील किया जाना होता है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.), उखीमठ (रुद्रप्रयाग) के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि शासन द्वारा `254.10 लाख की लागत से स्वीकृत (अप्रैल 2014) 'काक्डागाड़-परकंडी-कण्डारा मोटर मार्ग (किमी.-6, 7 व 8) के चौडीकरण व पी.सी./सील कोट द्वारा सुधारीकरण कार्य' के निष्पादन हेतु ठेकदार श्री राकेश सिंह भण्डारी के साथ `203.57 लाख की लागत का एक अनुबन्ध (संख्या-06/एस.ई./2015-16 दिनांक 11-06-2015) गठित किया था जिसके तहत सोंपे गए कार्यों को एक वर्ष की अवधि (11-06-2016) पूर्ण किया जाना था। हालांकि,ठेकेदार द्वारा माह दिसम्बर 2016 तक कुल `129.19 लाख की लागत के कार्य निष्पादित (6वें चालू देयक, भुगतानित दिनांक 27-03-2017) करने के उपरांत अवशेष कार्यों को छोड़ दिया गया और खण्ड द्वारा ठेकेदार को लिखे गए कई पत्रों के बाद भी रुचि न दिखाये जाने के परिणामस्वरूप अवशेष कार्यों को एक अन्य ठेकदार श्री अजयबीर सिंह भण्डारी को अनुबन्ध संख्या-20/ई.ई. दिनांक 13-06-2018 लागत `66.84 लाख सोंपा गया था जिसके अधीन कार्य,लेखा परीक्षा तिथि (मार्च 2019) तक, `19.51 लाख के भुगतान के साथ प्रगति में थे।

मूल अनुबन्ध (संख्या-06/एस.ई./2015-16 दिनांक 11-06-2015) के तहत निष्पादित `129.19 लाख के कार्यों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि:

- यद्यपि खण्ड द्वारा इस मार्ग के बिटुमिन कार्यों(Open Graded Premix Surfacing) के निष्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित MoRTH विशिष्टि संख्या-511.1 को ही अपनाया गया था परंतु कार्य निष्पादन तदनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योकि ठेकेदार द्वारा पार्श्व में दिये गए विवरणनुसार 4722.26 वर्गमीटर क्षेत्रफल में `11.66 लाख की लागत से पी.सी. तक के बिटुमिन कार्य करवाए गए थे जबकि सील कोट (SealCoat) की कार्यमद का निष्पादन छोड़ दिया गया था। सील कोट के अभाव में `11.66 लाख की लागत से निष्पादित ये समस्त (Unsealed)बिटुमिन कार्य तकनीकी रूप से अधोमंक सिद्ध हो गये थे, अतः इन कार्यमदों का भुगतान स्वीकार योग्य नहीं था।

Item of work	BoQ	Rate	Amount (`)
Prime Coat	4722.26 sqm	32.70	154,417.90
Tack Coat		13.20	62,333.83
Open-Graded Premix Carpet		201.00	949,174.26
Total			**11,65,925.99**

प्रकरण के संबन्ध में खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि "ठेकेदार द्वारा पी.सी. कार्य के भुगतान प्राप्ति के पश्चात सील कोट का कार्य किया गया और उसके पश्चात कार्य बन्द कर/छोड़ दिया गया था। यह भी अवगत कराया गया था कि सील कोट का भुगतान लंबित है जिसे अंतिम समायोजन देयक के अधीन ले लिया गया है"। हालांकि,खंडीय उत्तर स्वीकार-योग्य नहीं थे क्योकि ठेकेदार के साथ किए गये खंडीय पत्राचार से स्वतः स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा न तो कार्य पुनः आरम्भ किया गया और न ही खंड द्वारा कार्य निष्पादन (सील कोट) से संबन्धित कोई अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए थे। यह भी कि उपरोक्त वर्णित MoRTH विशिष्टि संख्या-511.1 के अनुसार खुली ग्रेड पी.सी. (Open Graded Premix Surfacing)बिछाये जाने के उपरान्त इसे तत्काल सील कोट (SealCoat) द्वारा सील किया जाना होता है जबकि इन बिटुमिन कार्यों के निष्पादन हेतु इस तकनीकी विशिष्टि का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- चूंकि ठेकेदार द्वारा कार्य को अपूर्ण ही छोड़ दिया गया था, इसलिए ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध की लागत के 10 प्रतिशत की अधिकतम पेनाल्टी (LiquidatedDamages)`20.36 लाख पाने का पात्र था परंतु खण्ड द्वारा इस सम्बंध कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हालांकि, खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि अनुबन्ध का अंतिमिकरण शेष है और उक्त का अंतिमिकरण नियमानुसार कर लिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि छोड़े गए कार्य के इस अनुबन्ध का अंतिमिकरण विगत दो वर्षो से लंबित है।

अतः अपूर्ण छोड़े गए इस निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के विरुद्ध `20.36 लाख की दण्डात्मक कार्यवाही न किए जाने और `11.66 लाख के अधोमानक बिटुमिन (Bitumen) कार्यों को स्वीकार कर भुगतान किए जाने का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु उजागर किया जाता है।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-1 : मानको से कम मोटाई की सतह पर `9.51 करोड़ की लागत के अधोमानक बिटुमिन (BM/SDBC)कार्यों का निष्पादन व ठेकेदार को `92,167 का अधिक भुगतान।

किसी भी मोटर मार्ग के सतह निर्माण/पुनर्निर्माण से पूर्व यह आवश्यक होता है कि मार्ग हेतु वांछित मृदा परीक्षण (CBRtest), यातायात घनत्व (Traffic Census), विद्यमान सतह मोटाई (Existing CrustThickness) के आकड़ों के आधार पर पवेमेंट/ओवरले डिजाइन (Pavement/Overlay Design) कर तदनुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय। यह भी कि मार्ग निर्माण के अंतर्गत बिटुमिन कार्यों में हॉट मिक्स कार्यमदों की लागत बहुत अधिक होती है अतः विभागीय अभियंताओ का दायित्व होता है कि निर्माण कार्यो मे IRC/MORTH एवं प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की गयी विशिष्टियों/मानको का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाय जिससे कि सृजित परिसंपतियाँ दीर्घजीवी हो और जल्दी ह्रास न हो। इस क्रम में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जारी ज्ञाप संख्या-57/10 अधि0प्रा0/ 2014 दिनांक 27-06-2014 से भी स्पष्ट किया गया था कि कई निर्माण खण्डों द्वारा मार्गों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु बिना किसी आधार के बी.एम./बी.सी./एस.डी.बी.सी. जैसी उच्च लागत की कार्यमदों का प्रावधान किया जा रहा है जबकि बी.एम./डी.बी.एम. द्वारा मार्ग पुनर्निर्माण तभी किया जा सकता है जबकि विद्यमान सतह की मोटाई (Existing CrustThickness) 300 एम.एम. से अधिक हो।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के "बांसवाड़ा-कंसिल-चंद्रनगर-मोहनखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण (BM/SDBC) कार्य (लंबाई- 30.010 किमी.)"के निर्माण हेतु कुल `1508 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2014) की गयी थी। कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) द्वारा निर्गत तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2014) `1507.89 लाख के अनुसार यह मार्ग पूर्व में पी.सी./सील कोट द्वारा लेपित था जिसे वर्तमान स्वीकृति के तहत बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा नवीनीकृत किए जाने के प्रावधान सम्मिलित किए गए थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.), उखीमठ में उपरोक्त कार्य की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि खण्ड द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2014) के लिए न तो मृदा परीक्षण (CBRtest) करवाया गया था और न ही यातायात घनत्व (Traffic Census) की जांच, जबकि मार्ग की विद्यमान सतह की मोटाई (Existing CrustThickness) मात्र 250 एम.एम. थी। इस प्रकार, उक्त मार्ग के ओवरले (Overlay) को पी.सी./सील कोट से बी.एम./एस.डी.बी.सी. में परिवर्तित किया जाना अनियमित था और पार्श्व में दिये गए विवरणनुसार सम्पूर्ण बिटुमिनकार्य लागत `9.51करोड़ अधोमानक थे क्योंकि उपरोक्त वर्णित मानकों के अनुसार बी.एम./एस.डी.बी.सी. कार्य हेतु 300 एम.एम. की सतह (crust) का होना अनिवार्य होता है।

Item of work	BoQ	Unit/ Rate	Amount (in `)
Painting-1	585.16M^3	1420	8,30,927
Tack Coat	1,08,031M^2	13	14,04,402
BM	5,689.96 M^3	10150	5,77,53,094
Tack Coat	1,07,907 M^2	11	11,86,980
SDBC	2,716.71 M^3	12500	3,39,58,875
Total			**9,51,34,278**

प्रकरण को इंगित किए जाने पर खंडीय उत्तर में अवगत कराया गया था कि यह मार्ग चारधाम यात्रामार्ग के बन्द हो जाने की स्थिति के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए निर्मित करने हेतु सतह सुधार की आवश्यकता थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि चारधाम यात्रामार्ग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सृजित की जाने वाली परिसंपतियाँ का मानकों के अनुरूप निष्पादन अनिवार्य था ताकि मार्ग अपने डिजाइन आयु को पूरा कर पाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त,लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये एक अन्य बिन्दु (टेस्ट रेपोर्टों के आधार पर एस.डी.बी.सी. कार्यमद हेतु की गई कम कटौती के प्रकरण) को स्वीकार करते हुये खण्ड द्वारा आश्वासन दिया गया था कि `32,345 कटौती ठेकेदार के निक्षेप से कर ली जाएगी। इसी प्रकार एक अन्य निर्माण कार्य (बांसवाड़ा-बस्ती-बसुकेदार)/अनुबंध सख्या-09/एसई /2014-15) में भी एस.डी.बी.सी. कार्यमद हेतु `59,822 की कम कटौती को ठेकेदार से वसूल किए जाने का आश्वासन दिया गया था।

इस प्रकार, `9.51 करोड़ की लागत के अधोमानक बी.एम./एस.डी.बी.सी. कार्यों के निष्पादन व ठेकेदार को किए गए `92,167के अधिक भुगतान का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो 'ब'

<u>प्रस्तर-2:</u>आधे रोड कटिंग चार्जेज़ वसूल कर दूरसंचार फ़र्म को `8.15 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1099/10 प्रकीर्ण-उत्तराखंड/2016 दिनांक 22-09-2016 के माध्यम से विभाग के अधीन पड़ने वाले मार्गों पर दूरसंचार/विद्युत विभाग/जल निगम/जल संस्थान एवं अन्य एजेंसियों द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन हेतु मार्गों को काटे/खोदे जाने के परिणामस्वरूप हुई क्षति के ऐवज में उन एजेंसियों से वसूल किए जाने वाले रोड कटिंग चार्जेज़ का निर्धारण किया गया था। संदर्भित ज्ञाप व उक्त के साथ प्रदत्त विभिन्न गणना प्रपत्रों के अनुसार मार्गों में विभिन्न दूरसंचार फ़र्मों द्वारा अपने ओ.एफ़.सी. (OpticalFibreCable)बिछाये जाने की अनुमति 0.6 मीटर चौड़ाई भाग हेतु निर्गत की जाती है और तदानुसार मार्ग सतह के प्रकार के अनुसार उल्लिखित दरों पर रोड कटिंग चार्जेज़ की गणना कर, वसूल किए जाते हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.),उखीमठ के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि मै0 भारती एयरटेल लि0 द्वारा इस खण्ड के अधीन पड़ने वाले 'थोलधार-कण्डरा मोटर मार्ग' के 1.80किमी. लम्बाई में ओ.एफ़.सी. बिछाई गई थी और फ़र्म से रोड कटिंग चार्जेज़ के रूप में पार्श्व में दिये गए विवरणनुसार `8.15 लाख वसूल किए गए थे।

Description	**Area of damage**			**Rate (in `)**	**Amount (in `)**
	L (RM)	**W**	Area		
Katchch surface	1200	**0.30**	360 M^2	700	2,52,000
WBM surface	600	**0.30**	180 M^2	1906	3,43,080
Total					**5,95,080**
Add 25% surcharges					1,48,770
Add 12% GST					71,409
Say					**8,15,000**

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि खण्ड द्वारा उक्त फर्म से 0.6 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 0.3 मीटर चौड़ाई की दर से आधी धनराशि के रोड कटिंग चार्जेज़ वसूल किए और फ़र्म को समतुल्य/आधी धनराशि `8.15 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यद्यपि, खण्ड द्वारा दूसरी फ़र्म (मै0 रिलायंस जियो इन्फोटेक) से खण्ड के अधीन पड़ने वाले अन्य मार्ग (मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग) के 39 किमी. लम्बाई में ओ.एफ़.सी. बिछाई जाने हेतु क्षतिग्रस्त होने वाले भाग की गणना उपरोक्त वर्णित प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-09-2016 के प्रावधान अनुसार 0.6 मीटर चौड़ाई के लिए की गई थी और कुल `300.81 लाख के रोड कटिंग चार्जेज़ वसूल किए गए थे।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि उक्त फ़र्म द्वारा अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया गया था कि 0.3 मीटर चौड़ाई में रोड कटिंग की जानी है इसलिए 0.3 मीटर चौड़ाई के लिए गणना कर एन.ओ.सी. दी गई थी। उत्तर अमान्य था क्योंकि एक तो खण्ड का यह कृत्य प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-09-2016 के प्रावधान विरुद्ध था वहीं दूसरी ओर फर्म द्वारा अपने अनुरोध पत्र (फरवरी 2018) में उक्त आशय (0.3 मीटर चौड़ाई में खुदाई) का कोई अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त रोड कटिंग चार्जेज़ का आगणन खण्ड द्वारा स्वयं तैयार करने के उपरांत

फ़र्म से `8.15 लाख की धनराशि की मांग की गई थी, जो प्रत्यक्ष रूप में फ़र्म को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण था।

अतः संदर्भित दूरसंचार फ़र्म को पहुंचाए गए `8.15 लाख के अनुचित लाभ का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2 ब

प्रस्तर-3 रु 8.52 लाख का परिहार्य व्यय एवं रु 26.34 लाख का Unjustified व्यय ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० उखीमठ, रुद्रप्रयाग के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (02/2019) मे पाया गया कि एस0पी0ए0/एस0पी0ए0 आपदा 2013 के अंतर्गत मायली-गुप्तकाशी राज्य मार्ग 37 में क्रास ड्रेनेज (पुलिया, स्क्पर एवं नाली) की मरम्मत व सतह सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 208/III(3)/16-06(एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0 दिनांक 28.03.2016 लंबाई 39 कि0मी0 हेतु रु 396.84 लाख की प्राप्त थी और मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक संख्या 3061/37 यता0-पौड़ी/2016 दिनांक 27.12.2016 द्वारा रु 396.84 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त थी ।

उक्त कार्य की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर निष्पादन हेतु कुल 21 अनुबंध गठित किए (एस0ई0 का 1,ई0ई0 के 12 एवं ए0ई0II के 8) |खण्ड द्वारा प्रस्तुत 15 अनुबन्धो का अवलोकन करने पर प्रकाश में आया कि SE द्वारा गठित अनुबंध संख्या 2/SE दिनांक 31.12.2016 के सापेक्ष EE एवं AE द्वारा गठित अन्य अनुबंधों में ठेकेदारों की दरे अधिक थी| यदि कार्य को टुकड़ों में विभाजित न किया गया होता तो SE द्वारा सम्पूर्ण कार्य हेतु एक ही अनुबंध गठित किए जाने से अधिक कार्य मद एवं मात्राओं हेतु न केवल ठेकेदारों द्वारा कम दरो पर बोली लगाई जाती बल्कि अधीक्षण अभियंता के स्तर पर गठित अनुबंध की दरो के सापेक्ष अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता स्तर पर गठित अनुबंधों की अधिक दरों के कारण रु 8,52,500/- के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। (ज्ञाप संख्या 829/071 पृष्ठ संख्या 139 से 143 तक)

प्रस्तुत अनुबन्धो के आधार पर कार्य पर कुल रु 317.71 लाख (ज्ञाप संख्या 829/071 प्रष्ठ संख्या 145) का व्यय किया गया है जबकि मासिक लेखा 01/2019 के प्रपत्र-64 में कार्य पर कुल रु 389.90 लाख का व्यय भारित किया गया है यानि रु 72.19 लाख के व्यय के साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

कार्य पर रु 72.19 लाख का अधिक व्यय भारित किए जाने के संबंध में बतलाया कि अनुबंधों के अंतर्गत किए गए रु 49.85 लाख के देयको की छाया प्रति संलग्न है।

खण्ड का उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्य को विभाजित किया जाना नियमानुकूल न होने के साथ साथ कार्य को टुकड़ों में विभाजित किए जाने से अधीक्षण अभियंता के स्तर पर गठित अनुबंध की अनुबंधित दरों के सापेक्ष अधिशासी अभियंता एवं स0 अभियंता के स्तर पर गठित अनुबंधों की अधिक दरों के कारण रु 8.50 लाख का परिहार्य व्यय हुआ है| यदि अधीक्षण अभियंता के स्तर पर सम्पूर्ण कार्य हेतु एक ही अनुबंध गठित किया गया होता तो रु 8.50 लाख के परिहार्य से बचा जा सकता था | कार्य पर (बिना साक्ष्य के रु 72.19 लाख का व्यय भारित किए जाने के संबंध में रु 49.85 लाख के देयक साक्ष्य के रूप में उत्तर के साथ संलग्न किए जाने के बाद भी) रु 26.34 लाख का व्यय कार्य पर अधिक बिना किसी आधार के भारित किया गया है।

अतः रु 8.50 लाख के परिहार्य व्यय एवं रु 26.34 लाख के unjustified व्यय के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है|

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	43/1992-93.	01	01
2.	84/1993-94	-	02
3.	65/1994-95	-	01
4.	146/1996-97	-	01
5	04/2000-01	-	03
6.	24/2002-03	-	01
7.	39/2003-04	01	-
8.	84/2004-05	01	-
9.	49/2012-13	-	01
10.	67/2014-15	01	01
11.	06/2016-17	01	02

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,उखीमठ,रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्री मनोज दास	अधिशासी अभियंता

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री आर० एस० राणा खण्डीय लेखाधिकारी 24/09/2016 से 20/08/2017 तक।
2. श्री आलोक कुमार खण्डीय लेखाधिकारी 21/08/2017से 04/08/2018 तक
3. श्री आर० एस० राणा खण्डीय लेखाधिकारी 05/08/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,उखीमठ,रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2